



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05042023-244932
CG-DL-E-05042023-244932

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 82]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 3, 2023/चैत्र 13, 1945

No. 82]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 3, 2023/CHAITRA 13, 1945

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2023

विषय: दूरसंचार विभाग के एलएसए क्षेत्रीय इकाइयों के प्रमुखों के पद का पुनर्नामन करने के संदर्भ में।

No. 9-5(10)/2021-स्था.—यह दूरसंचार विभाग की दिनांक 23.02.2017 की अधिसूचना संख्या 9- (1)/2016-स्था. के संदर्भ में है। पूर्व में 34 टीईआरएम प्रकोष्ठों को 22 लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एलएसए) में पुनर्गठित किया गया था जिसमें से प्रत्येक क्षेत्रीय इकाइयों का नेतृत्व एचएजी+/एचएजी स्तर के अधिकारी करते हैं। एलएसए क्षेत्रीय इकाइयों के प्रमुख दूरसंचार महानिदेशक को रिपोर्ट करते हैं जो मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित शीर्ष स्तर का पद है।

2. यह निर्णय लिया गया है कि:

- एलएसए क्षेत्रीय इकाई का नेतृत्व करने वाले उच्च प्रशासनिक ग्रेड प्लस (एचएजी+) स्तर के अधिकारी को अब से विशेष दूरसंचार महानिदेशक के रूप में नामित किया जाएगा;
- एलएसए क्षेत्रीय इकाई का नेतृत्व करने वाले उच्च प्रशासनिक ग्रेड (एचएजी) स्तर के अधिकारी को अब से अपर दूरसंचार महानिदेशक के रूप में नामित किया जाएगा।

3. दूरसंचार विभाग की दिनांक 23.02.2017 की अधिसूचना संख्या 9-5(1)/2016-स्था. का अनुबंध-III को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है।
4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

रोशनी सोहनी, उप महानिदेशक (स्था.)

MINISTRY OF COMMUNICATION
(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March 2023

Subject: Re-designation of the post of Heads of LSA field Units of DoT – regarding.

No. 9-5(10)/2021-Estt.-This refers to the Department of Telecommunications notification no. 9-5(1)/2016-Estt. dated 23.02.2017. The erstwhile 34 TERM Cells were restructured into 22 Licensed Service Area (LSA) field Units each headed by HAG+/HAG Level Officers. Heads of LSA field Units report to Director General Telecom, an apex level post approved by the Cabinet.

2. It has been decided that:
 - a) Higher Administrative Grade Plus (HAG+) level Officer heading LSA field Unit will henceforth be designated as Special Director General Telecom;
 - b) Higher Administrative Grade (HAG) level Officer heading LSA field Unit will henceforth be designated as Additional Director General Telecom.
3. Annexure-III of the DoT notification No. 9-5(1)/2016-Estt. dated 23.02.2017 stands amended to this extent.
4. This issues with the approval of Competent Authority.

ROSHNI SOHNI, DDG (Establishment)